

सं० 13011(1) (iii)/2011- वि०-1

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
राजभाषा खंड

नई दिल्ली तारीख, 18 नवंबर, 2011

प्रेस विज्ञप्ति

विधि के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को निधि का जारी किया जाना

विधायी विभाग के राजभाषा खंड की विधि के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं के प्रयोग में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए पात्र स्वैच्छिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए सभी प्रमुख समाचार पत्रों में तारीख 28 अक्टूबर, 2011 और 29 अक्टूबर, 2011 को विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे।

यह विनिश्चय किया गया है कि पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने की समय-सीमा को 15 दिसंबर, 2011 तक नियत किया जाए। आवेदन पत्र और स्कीम के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट www.lawmin.nic.in/olwing पर उपलब्ध है।

एन. के. नम्पूतिरी

(एन. के. नम्पूतिरी)
अपर सचिव

No.13011(1)(iii)/2011-Leg.I
Government of India
Ministry of Law and Justice
Legislative Department
Official Languages Wing


New Delhi, 18 November, 2011

PRESS RELEASE

**RELEASE OF FUND TO THE VOLUNTARY ORGANISATIONS ENGAGED IN
THE FIELD OF LAW**

The Official Languages Wing of the Legislative Department has a scheme for giving financial assistance to the Voluntary organizations engaged in the use of Indian Languages in the field of Law. In this connection, detailed advertisements were made in all the leading newspapers dated 28th October 2011 and 29th October, 2011 inviting applications from eligible Voluntary organizations for award of financial assistance for the financial year 2011-2012.

It has been decided to fix the time limit for receipt of applications from eligible Voluntary organizations upto 15 December, 2011. The application form and details of the scheme are available on Ministry's website: www.lawmin.nic.in/olwing.


(N.K.Nampoothiry)
Additional Secretary

PIO (LAW)